'हवाई यात्रा तो दूर, हमारे नेता रेल का टिकट भी नहीं खरीद सकते'

राहुल गांधी ने यह कहते हुए प्रधानमंत्री पर कांग्रेस को आर्थिक रूप से लाचार बनाने का आरोप लगाया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मार्च। आयकर विभाग द्वारा बैंक खातें सीज़ किए जाने से पूर्णतया अक्षम हो चुकी कांग्रेस के तीन शीर्ष नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भाजपा व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आज आरोप लगाया कि उन्होंने लोकसभा चुनावों के पूर्व कांग्रेस को वित्तीय रूप से लाचार बना दिया है।

पार्टी के शीर्ष तीन नेताओं द्वारा संबोधित की गई एक असाधारण प्रैस कॉन्फ्रैंस में राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ की गई सरकार की यह प्रतिशोधी कार्यवाही दर्शाती है कि भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा।

सोनिया गांधी ने कहा कि "प्रधानमंत्री इण्डियन नैशनल कांग्रेस को वित्तीय रूप से अक्षम बनाने का एक सुनियोजित प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि "जनता से एकत्रित किए गए फण्ड्स फ्रीज़ किए जा रहे हैं तथा हमारे बैंक खातों से जबरन धन निकाला जा रहा है, फिर भी हम इन सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने चुनाव प्रचार अभियान को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं।"

हालांकि, कांग्रेस वर्ष 2018-18 के लिए आयकर पुनर्आकलन प्रक्रिया शुरु करने के खिलाफ दायर की गई अपनी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रही है। पार्टी ने बताया कि उसे वर्ष 1993-94 के वित्त वर्ष के लिए आयकर विभाग का नोटिस प्राप्त हुआ है।

राहुल गांधी ने कहा कि "हमारे सभी बैंक खाते सीज़ कर दिए गए हैं। हम कैसा भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। हम हमारे कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को सहयोग नहीं दे सकते। हमारे नेता देश में एक भाग से दूसरे भाग की हवाई यात्रा नहीं कर सकते। हवाई यात्रा की बात तो छोड़िए व कोई ट्रेन यात्रा भी नहीं कर सकते और यह सब कुछ चुनावों के दो माह पूर्व किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक नोटिस स्व. सीताराम केसरी के जमाने का 90 के दशक का प्राप्त होता है तथा 6-7 साल पुराना एक दूसरा नोटिस आता है।"

> **कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रैस कॉन्फ्रैंस कर आरोप लगाया कि, सरकार ने जानबूझकर लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी के बैंक खाते फ्रीज़ करवाएं हैं, यही नहीं, सरकार इन खातों से जबरन पैसा निकाल रही है।**

कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया कि चार बैंकों में पार्टी के 11 खाते सीज़ कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि "वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आए एक नोटिस में चार बैंकों के हमारे 11 खातों पर 210 करोड़ रूपयों की पैनल्टी लगाई गई है, जिसका कारण यह बताया गया कि कुल प्राप्त 199 करोड़ रूपयों में से 14.49 लाख नकद प्राप्त किए गए (हमारे सांसदों द्वारा कांग्रेस पार्टी को दिया गया डोनेशन) कुल डोनेशन्स में नकदी का हिस्सा महज 0.07 प्रतिशत है, लेकिन इसका दण्ड 106 प्रतिशत लगाया गया है।"

उन्होंने कहा कि हमारे खातों को फ्रीज़ करने के समय को देखिए। हमें वर्ष 2017-18 में 199 करोड़ रूपया डोनेशन मिला, लेकिन 7 साल बाद 13 फरवरी 2024 को आयकर विभाग ने 210.25 का जुर्माना दावा पेश कर हमारे बैंक खाते सील कर दिए और बाद में सरकार ने 115.32 करोड़ रूपए जबरन जब्त कर लिए। आयकर विभाग के दावे की गणना इस प्रकार से की गई कि उसने ना केवल 210 करोड़ रूपए सीज़ कर दिए, बल्कि कांग्रेस को उसके जमा 285 करोड़ रूपयों का उपयोग करने से भी वंचित कर दिया। इससे प्रमुख विपक्षी पार्टी की वित्त व्यवस्था एक तरह से पंगु हो गई।"

राहुल गांधी ने कहा कि अदालतों और चुनाव आयोग जैसे हमारे देश के संस्थान, जिनसे हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करने की उम्मीद की जाती है, भी मूक दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि "चुनाव लड़ने की हमारी क्षमता को नुकसान पहुँचाया गया है। हम एक माह गवाँ चुके हैं। हम विज्ञापन के स्लॉट्स नहीं बुक करा सकते। हम अखबारों में भी विज्ञापन नहीं दे सकते। अत: यह किस तरह का लोकतंत्र है? यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा कांग्रेस पार्टी पर की गई आपराधिक कार्यवाही है। आज के भारत में इन लोगों के बिना ऐसा काम नहीं हो सकता।"

राहुल गांधी ने कहा कि "यह मानना कि भारत एक लोकतंत्र है, झूठ है। आज भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह मत कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भी झूठ है। यह पूर्णतया झूठ है। भारत के 20 प्रतिशत लोग हमें वोट देते है और हम किसी चीज़ के लिए 2 रूपए देने की भी सामर्थ्य नहीं रखते और यह सब कुछ किया जा रहा है चुनावों में हमें पंगु बनाने के लिए।" "आज हमारे बैंक खातों पर से यदि पाबंदी हटा भी ली जाए तो भी भारतीय लोकतंत्र का भारी क्षति पहुंच चुकी है। कोई भी कोर्ट कुछ नहीं कह रही है, चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कह रहा है, कोई भी संस्थान कुछ नहीं कह रहा है, मीडिया कुछ नहीं कह रहा है। यह हास्यास्पद है।" राहुल ने कहा कि "यह इस देश के सभी संस्थानों का कर्त्तव्य है, इस देश के सभी लोगों का कर्त्तव्य है। आपको आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति से वंचित किया जा रहा है, आपको आपके संविधान से, लोकतांत्रिक ताने-बाने से और सारे सिस्टम से वंचित किया जा रहा है और हर कोई सिर्फ चुप है।"

माकन ने कहा कि पार्टी को वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए आयकर विभाग का एक नया नोटिस पिछले सप्ताह प्राप्त हुआ। उस वक्त सीताराम केसरी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। हमसे कहा जा रहा है कि हम वित्तीय वर्ष 1993-94 के आकलन से जुर्माना शुल्क की गणना करें।"

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी ने कभी इनकम टैक्स दिया है।

सोनिया ने कहा कि एक तरफ तो इलैक्टोरल बॉण्ड का मुद्दा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक ठहरा चुका है। इलैक्टोरल बॉण्ड्स ने भाजपा का बहुत लाभान्वित किया है और दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल, कांग्रेस के फण्ड्स पर दृढ़ संकल्पित प्रहार हो रहा है।"

खड़गे ने कहा कि देश में चुनाव लड़ने के लिए समान संसाधन नहीं है। उन्होंने मांग कि "समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हमारे बैंक खातों को डीफ्रीज़ किया जाए।"

सार-समाचार

दो बच्चियों ने रखा पहला रोजा

निवाई, (निसं)। मुस्लिम समुदाय के पवित्र महीने रमजान में जयपुर रोड स्थित ईदगाह मस्जिद के पास दो छोटी बच्चियों ने पहला रोजा रखा। पिता मोहम्मद अजीम ने बताया कि उनकी पुत्री मेहरीन 11 वर्ष व कशफ 9 वर्ष ने रमजान के पवित्र माह में पहला रोजा रखा। वही दोनों बच्चियों ने मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान पढ़कर भी पूरा किया है। बच्चियों को दुआओं से नवाजने के लिए दूर-दूर से काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने बच्चियों को फूलों की माला सहित तोहफे भेंट किये। वही कुरान पूरा करने पर मौलवियों द्वारा बच्चियों से कुरान की तिलावत सुनी गई। बुधवार की देर शाम 6:40 पर दोनों बच्चियों ने अपना पहला रोजा परिवार व मौलवियों के साथ खोलेंगी।

भाजपा लोकसभा प्रत्याशी का स्वागत

अलवर, (निसं)। अलवर लोकसभा प्रत्याशी भूपेन्द्र यादव को जिले भर में विभिन्न समाजों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। गुरूवार को भी विभिन्न समाजों के नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर समाज की तरफ से भूपेन्द्र यादव का भव्य स्वागत करते हुए उन्हें अपने समाज द्वारा समर्थन दिए जाने का ऐलान भी किया है। अलवर जिला में भाजपा लोकसभा सीट के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का गुर्जर और ओड समाज द्वारा स्वागत और अभिनंदन सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर ओड और गुर्जर समाज के सम्मानित सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव का फूलो और 51 किलो की माला व 51 मीटर का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री संजय शर्मा, पूर्व मंत्री हेमसिंह भडाना, विधायक रामहित यादव पूर्व सांसद डॉक्टर जसवंत यादव जी ने भी दोनों समाज के लोगों को संबोधित किया।

फ्रांसीसी पर्यटक दल का भ्रमण

टोंक, (निसं)। मोलाना आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान में फ्रांसीसी पर्यटक दल के 12 सदस्य भ्रमण करने आये। उन्होंने संस्थान में रखे आर्ट गैलेरी में विश्व के सबसे बडा कुरान शरीफ को देखकर अभिभूत हुऐ तथा उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की। एपीआरआई के डिस्प्ले हाल के शोकैस में रखे दुर्लभ मैन्यूस्क्रिप्ट्स रामायण, महाभारत एवं भगवत् गीता भी देखी जिसे देखकर खुशी का इज़हार किया। संस्थान के जमील अहमद एवं बदर अहमद द्वारा फ्रांसीसी दल को विजिट कराया गया।

नकबजनी का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

टोंक, (निसं)। जिला स्पेशल टीम व पुरानी टोंक थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर नकबजनी का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जानकारी अनुसार वृत्ताधिकारी राजेश विधार्थी ने बताया कि परिवादी शांति कुमार निवासी प्लाट नं. 1/139 हाउसिंग बोर्ड कालोनी टोंक ने 19 मार्च को रात्री के समय स्वयं के सूने मकान के ताले तोडकर सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुरानी टोंक थाने में दर्ज कराई गई। इसी प्रकार परिवादी मोहसीन खान पुत्र रसीद मिया निवासी गोकुल धाम कालोनी टोंक ने भी 16 मार्च की रात्री को प्रार्थी के सूने मकान के ताले तोडकर नकदी व सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई।

इस पर गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए डाटा एकत्रित कर घटनास्थल व रूट चिन्हीत किया। घटना करने का समय व तरीके का विश्लेषण किया तथा उपलब्ध सीसीटीवी फुटेजों का विश्लेषण किया। दोराने तलाश व आसूचना के आधार पर आरोपी शानू उर्फ बबलू पुत्र रामकिशन सैनी जाति माली 22 साल निवासी होली का कूट देई जिला बून्दी एवं सुरज पुत्र लीलाधर जोशी जाति ब्राह्मण 28 साल निवासी हल्दवानी लाम्बाचोड चारधाम मन्दिर के पास जयपुर, पाडली थाना मुखानी जिला अल्मोडा उत्तराखण्ड को कार्यवाही करते हुये पुरानी टोंक थाना व डीएसटी टीम द्वारा हाउसिंग बोर्ड पीडब्ल्युडी ऑफिस के पास से मय वाहन स्वीफ्ट कार के साथ डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। वाहन स्वीफ्ट कार से नकबजनी के काम में लेने वाला सामान बरामद किया गया। दोनों आरोपियों ने नकबजनी की वारदात करना स्वीकार किया।

आरोपी सूरज जोशी ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों जयपुर से स्वीफ्ट कार लेकर टोंक आ गये, जहा पर हमने किराये का कमरा ले लिया व दिन में व शाम के समय आसपास घुमकर सूने मकानों की रेकी कर लेते थे व रात्री में सूने मकानों के ताले तोडकर नकबजनी करते थे। आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है, जिससे अन्य नकबजनी की वारदातों के खुलासा होने की सम्भावना है। आरोपियों से चोरी हुए माल बरामदगी को लेकर रिकवरी की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ अन्य थानों में भी कई मामले दर्ज है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है।

जिला स्पेशल टीम व पुरानी टोंक थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

'राज्यपाल के आचरण पर हम क्षुब्ध हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं'

तमिलनाडू के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडू राज्य के राज्यपाल के प्रति कड़ा रुख इस बात को लेकर अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री की सजा पर स्थगन आदेश जारी करने के बाद भी मंत्री को बहाल नहीं किया।

के. पोन्मुडी, मंत्री परिषद में राज्य मंत्री थे जिन्हें एक केस में दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उक्त मंत्री को उनके मंत्रिमण्डल में वापस बहाल करने की राज्यपाल से सिफारिश की थी।

राज्यपाल ने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर स्थगन आदेश जारी करने के बाद भी, पोन्मुडी को पुन: मंत्रिमण्डल में शामिल करने इजाजत नहीं दी, इसलिए तमिलनाडू सरकार इस मामले को लेकर पुन: सुप्रीम कोर्ट चली गई।

गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आर.एन. रवि के व्यवहार और उनके आचरण पर नाराजगी जाहिर की क्योंकि वो किसी भी मुद्दे पर एक चुनी हुई सरकार के साथ तकरार करते रहते हैं और बखेड़ा खड़ा कर देते हैं।

संयोगश, सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें इस बात को लेकर फटकार लगा चुका है कि, राज्य विधानसभा व सरकार द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में वे असाधारण विलम्ब करके सरकार को परेशान कर रहे थे और कामकाज में बाधा डाल रहे थे।

यह महज संयोग है कि तमिलनाडू की सरकार को चलाने वाली पार्टी डी.एम.के. (द्रमुक) द्वारा राज्य में राज्यपाल के पद को समाप्त करने का तक और संघीय ढांचे को मजबूती देने के आव्हान करने के बाद अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल रवि को फटकार लगाई थी। इस खेंचतान के चलते डी.एम.के ने अपने लोकसभा के चुनाव घोषणा पत्र में यह मुद्दा रखा है और उसमें प्रतिज्ञा ली है कि वह राज्यपाल के पद को समाप्त करने की दिशा में काम करेगी।

> **सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडू के मंत्री पोन्मुडी की दोषसिद्धी पर स्टे लगाने के बावजूद भी राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद पर बहाल करने से इन्कार कर दिया। राज्य सरकार ने पुनः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर गंभीर नाराज़गी जताई।**

संयोगवश, एक वाकया पहले भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को पहले भी सलाह दी थी कि वे विधेयकों को लम्बित रख पारित करने में देरी नहीं कर सकते और उन्हें उन पर एक यथोचित अवधि में निर्णय लेना ही पड़ेगा।

परंतु इसके बावजूद उनकी राज्य सरकार के साथ तकरार जारी है जबकि मुख्यमंत्री द्वारा शांत व एक समझदारी भरा दृष्टिकोण अपनाया गया, जो नियमावली की पुस्तक के अनुसार चले और पद की मर्यादा और गरिमा बनाए रखी।

शीर्ष कोर्ट ने राज्यपाल रवि को गुरुवार को फटकार लगाते हुए कहा, "हम राज्यपाल के आचरण को गंभीर गंभीरता से ले रहे हैं हम इस बात को ऊंची आवाज में कोर्ट में नहीं कहना चाहते हैं परंतु वे भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैंच जिसमें न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला व मनोज मिश्रा भी थे, वह राज्यपाल द्वारा पोनमुदिन को मंत्री के रुप में बहाल करने से इंकार करने के खिलाफ तमिलनाडू सरकार के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

पोनमुदिन की जेल की सजा को निलम्बित कर देने व सजा पर स्थगन आदेश जारी करने के बाद भी राज्यपाल ने सरकार की पोनमुदि को मंत्री पद पर पुन: बहार किए जाने अनुशंषा को स्वीकार करने से मना कर दिया।

सी.जे.आई. चन्द्रचूड ने अटॉर्नी जनरल इंडिया आर. वेंकट रमानी से कहा, "मिस्टर अटॉर्नी जनरल, आपके राज्यपाल यह क्या कर रहे है? सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और राज्यपाल कहते है कि वे उन्हें शपथ नहीं दिलवाएंगे। हमें विवश होकर गंभीर रुख अपनाना पड़ेगा। कृपया अपने राज्यपाल को कहें कि हम इस पर गंभीर दृष्टिकोण अपनाएंगे। यदि हम कल तक कोई सकारात्मक कार्रवाई की बात नहीं सुनते हैं और संवैधानिक स्थिति सही नहीं होती है तो हमें इसको लेकर आदेश पारित करना पड़ेगा और तब हम एक आदेश पारित कर ही देंगे।"

न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि, यदि "एक राज्यपाल को यह सूचित कर दिया कि जब भारत का उच्चतम न्यायालय एक सजा को स्थगित कर देता है तो सज स्थगित हो ही जाती है।" जब दो न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ सजा को स्थगित कर देती है तो राज्यपाल के पास हमें यह बताने का कोई काम नहीं है कि इससे सजा नहीं खत्म होती है और यह अस्तित्व रहित है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने उनको सलाह दी है कानून के अनुसार सही सलाह नहीं दी है।" सी.जे.आई. ने कहा।

अटॉर्नी जनरल ने यह कहते हुए आवेदन पर तकनीकी आपत्तियां प्रकट की और कहा कि एक याचिका जो पहले से अलग मुद्दे पर विचाराधीन है उसमें इंटरलोक्यूटरी आवेदन किया गया है इस पर प्रश्न है कि एक राज्य के मूल अधिकारों का कैसे उल्लंघन हुआ है हालांकि, सी.जे.आई. ने उनसे प्रश्न किया, कि मिस्टर, अटॉर्नी यदि राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते हैं तो सरकार क्या करेगी।"

सी.जे.आई. ने यह भी कहा कि एक मुख्यमंत्री एक व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहता है तो राज्यपाल को यह कार्य एक संसदीय लोकतंत्र के हिस्से के रुप में करना चाहिए क्योंकि वह राज्य का एक औपचारिक प्रमुख है। एक राज्यपाल कैसे कह सकता है कि मंत्री को शपथ दिलाना संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध होगा? क्या राज्यपाल का यह सर्वश्रेष्ठ तर्क है कि वे सरकार पर उंगली उठाकर संवैधानिक बचाव करते हुए अवैध आचरण को रोकेंगे?"

राजभवन से भेजी गई एक अधिकारिक सूचना में मुख्यमंत्री के उस अनुरोध को खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने पोनमुदि को बहाल करने का अनुरोध किया था और आगे राज्यपाल ने कहा कि, पोनमुदि पर भ्रष्टाचार के आरोपों के दाग लगे है अत: "उन्होंने पुन: मंत्रिमंडल में मंत्री बहाल करना एक प्रकार से संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है।" तमिलनाडू सरकार इस मामले को लेकर देश की शीर्ष अदालत में इंटरलोक्यूटरी आवेदन के माध्यम से पहुंची थी जबकि एक रिट पिटीशन पहले से सरकार के खिलाफ राज्यपाल पर विधेयकों को पारित करने में अनावश्यक विलम्ब से मंजूरी देने को लेकर थी। सरकार तर्क दिया कि रवि इस तरीके से कार्य कर रहे थे मानों वे सर्वोच्च अपील अदिकारी ओर उनका कोर्ट के आदेश को मानने से इंकार करना "एक घोर उल्लंघन" है।

पूर्व मंत्री पोन्मुडी व उनकी पत्नी विशालाक्षी को मद्रास हाईकोर्ट ने दिसम्बर 2023 में एक आय से अधिक सम्पत्ति के मामले दोषी करार दिया था और उन्हें 3 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उन्हें विधायक के रुप अयोग्य घोषित कर दिया गया था और जनप्रतिनिधि अधिनियम 195 1 की धारा 8 (3) के तहत एक मंत्री को, जिसे अनेक अपराधों में सजा दी गई हो इसमें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधान भी शामिल है, के तहत व्यक्ति या मंत्री को छ- वर्षों की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके तहत उन्हें तत्काल विधायकी तथा मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके चलते, पोनमुदि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। जहां पर कोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी।

सरकार ने उनकी विधायकी को अयोग्य घोषित करने वाले निर्णय वापस ले लिया और राज्यपाल से अनुरोध किया था पोनमुदि को पुन: मंत्री नियुक्त किया जाए।

नशीली दवा के साथ एक गिरफ्तार

पावटा, (निसं)। एसपी कोटपूतली बहरोड वंदिता राणा ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के आदेश अनुसार संपूर्ण राज्य में अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं अवैध हथकढ़ शराब, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट एवं वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्य स्तरीय विशेष अभियान की पालना में एएसपी कोटपूतली नेम सिंह के निर्देशन, वृत्तधिकारी विराटनगर रोहित सांखला के सुपरविजन एवं विराटनगर थाना प्रभारी मनोहर लाल के नेतृत्व में टीम का गठन कर भीलवाडा बस स्टैंड के पास नवरंगपुरा रोड पर एक युवक महेंद्र सैनी निवासी मालियों की ढाणी बियावास के पास अवैध नशीले 1584 कैप्सूल एवं 2 लाख 16 हजार नगद राशि बरामद कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही : एस.डी.एम.

मालपुरा, (निसं)। आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 सहित होली, धुलंडी, रंगपंचमी, हिन्दू नववर्ष, ईद व ओसवाल तीर्थ दादाबाडी में आयोजित होली मेले के दौरान शहर व उपखण्ड क्षेंत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने को लेकर गुरूवार को मालपुरा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में हिन्दु व मुस्लिम दोनो ही समुदायों के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। त्यौहारों पर अमन चैन व आपसी भाईचारा बनाये रखने को लेकर चर्चा के दौरान एसडीएम अमित कुमार चौधरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि क्षेत्र में आमजन की सुरक्षा एंव कानून व्यवस्था बनाया रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। आज से पूर्व मालपुरा में हुई साम्प्रदायिक घटनाओं से उपजे हालात तथा दोनो ही समुदायों के लोगों को हुई परेशानी के साथ-साथ साम्प्रदायिकत्ता की आग में झुलसे शहर पर अतिसंवेदनशील कस्बे के लगे बदनुमा दाग को हटाने के लिये प्रशासन के साथ-साथ शांति समिति सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका व जिम्मेदारी है। एसडीएम ने कहा कि यदि मालपुरा का साम्प्रदायिक सौहार्द अब किसी ने बिगाडने की कोशिश की तो उन शरारती तत्वों व असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगा। एएसपी रामकुमार कस्वा ने कहा कि सोशल मिडिया पर भ्रामक व भडकाऊ पोस्ट करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। अभिभावक अपने बच्चों को सोशल मिडिया के दुरूपयोग से बचने की शिक्षा दे साथ ही दोनों समुदाय एक-दूजे के त्यौहारों में शरीक होकर पुन: शहर में साम्प्रदायिक सौहार्द की मिशाल कायम करते हुये दो समुदायों में हुई दूरियों की खाई को पार्ट कर आने वाली युवा पीढी के लिये एक मिशाल पेश करे।

मालपुरा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक में हिन्दु व मुस्लिम समुदायों के प्रबुद्धजन मौजूद रहे।

> **लोकसभा चुनाव सहित होली व ईद त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक**

थानाधिकारी चेनाराम बेडा ने कहा कि शहर के हालातों व आमजन की सुरक्षा को देखते हुये प्रशासन द्वारा तय किये गये रास्तों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा और जूलूस व यात्राओं में डीजे बजाने की स्वीकृति भी नहीं होगी। शांति समिति सदस्य बशीर अहमद, मुंशी खां बेलिम, रामलाल फोजी, एडवोकेट हमीद, कृष्णकांत जैन आदि ने त्यौहारों पर होने वाले आयोजनों की प्रशासन को जानकारी दी साथ ही अवैध सट्टा व्यापार व धडल्ले से बिक रहे मादक पदार्थो की बिक्री पर रोक लगा युवा पीढी को नशे की लत से बचाने के लिये प्रशासन से ऐसे लोगों पर कार्यवाही की मांग की।

अवनी का आविष्कार अभियान में चयन

श्रीमाधोपुर, (निसं)। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सत्र 2023-24 में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों में गणित एवं विज्ञान विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का अविष्कार अभियान के तहत चयन किया गया है। सुश्री अवनी शर्मा पुत्री गिरिराज शर्मा जो की कक्षा 10 में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम श्रीमाधोपुर की छात्रा थी इन्होंने विज्ञान एवं गणित विषय में ब्लॉक में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को राज्य के बाहर भ्रमण गतिविधि में इनका चयन हुआ है एवं इन्हें राज्य के बाहर ले जाया जाकर गणित एवं विज्ञान विषय से जुड़े संस्थाओं का भ्रमण करवाया जाएगा। इस अवसर पर बालिका सुश्री अवनी शर्मा का विद्यालय में अभिनंदन किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर बालिका के परिजन और विद्यालय स्टाफ भी उपस्थित था।

बास कृपाल नगर के श्याम मंदिर पर महिला चोर गिरोह सक्रिय

किशनगढ़बास, (निसं)। किशनगढ़बास निवासी मीडिया कर्मी मुकेश सोनी अपनी पत्नी के साथ बुधवार को बास कृपाल नगर में श्याम मंदिर में बाबा के दर्शनों के लिए गए थे। इस दौरान मंदिर में उनकी पत्नी के पीछे खड़ी एक अज्ञात महिला चेन तोड़कर भाग गई। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे देखना चाहा तो खराब होने की बात कही।

बताया गया की हर माह की ग्यारस पर किशनगढ़बास सहित आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी जत्थे के रूप में एकत्रित होकर तीर का निशान लेकर बाबा के चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंची किशनगढ़बास विद्युत विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी ने बताया कि करीब 4 माह पहले वह ग्यारस पर बाबा के दर्शन करने के लिए आई तब उस दौरान भीड़ में गले से कोई चेन तोड़कर ले गया। इसी प्रकार अनेक महिलाओं ने दर्शनों के दौरान अन्य हुई घटनाओं की जानकारी दी। मंदिर कमेटी के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पहले भी महिलाओं के गले से चैन चोरी की घटनाएं होने की बात सामने आने पर कैमरे के फुटेज दिखाए गए है। मंदिर के कैमरे पिछले दिनों शॉर्ट सर्किट से खराब हुए हैं। कैमरे बदलने के लिए मंदिर कमेटी की ओर से प्रस्ताव लिया जा चुका है जल्दी ही कमरे बदले जाएंगे। लोगों ने बताया कि महिला चोर गिरोह पहले मंदिर के बाहर खड़े रहकर महिला को टारगेट करते हैं और आगे पीछे से घेराबंदी कर चेन तोड़ लेते हैं। आसपास खड़े भक्तों का ध्यान भटकाने के लिए चोर गिरोह के सदस्य एक छोटे बच्चे को भी अपने साथ रखते हैं।

कचरे का ढेर हटवाने की मांग

सांभरझील, (निसं)। कायस्थ मौहल्ला में चणक्या भेरूजी मंदिर के रास्ते के दोनों और खाली भूखंडों पर कचरे का ढेर एक मंजिल जितना ऊपर हो गया है। उस पर बबूल की झाड़ियां है जो रास्ते में आने से आवागमन संकीर्ण हो गया है। धुलंडी के दिन नंदीकेश्वर की सवारी इस मार्ग से निकलती है। कई दफा यहां के लोगों ने कचरा हटवाने के लिए अनुरोध किया लेकिन कई सालों से यह कचरे का ढेर इसी प्रकार लगा हुआ है।